



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1893]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 27, 2016/श्रावण 5, 1938

No. 1893]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 27, 2016/SRAVANA 5, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2016

का.आ. 2554(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 435 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, निम्नलिखित न्यायालय को कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के मामलों के त्वरित विचारण प्रयोजनों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित करती है, अर्थात् -

क्र.सं. (1)	विद्यमान न्यायालय (2)	विशेष न्यायालय के रूप में अधिकारिता (3)
1.	अपर सेशन न्यायाधीश - 03 का न्यायालय, उत्तर-पश्चिमी जिला, द्वारका	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

2. स्तंभ संख्या (2) में उल्लिखित उपर्युक्त न्यायालय स्तंभ संख्या (3) में उल्लिखित अधिकारिता की बाबत विशेष न्यायालय के अधिकारिता का प्रयोग करेगा।

[फा. सं. 01/12/2009-सीएल-1 (खंड-IV)]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th July, 2016

S.O. 2554(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 435 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Delhi, designates the following Court as Special Court for the purposes of providing speedy trial of offences punishable under the Companies Act, 2013 with imprisonment of two years or more under the Companies Act, 2013, namely:-

TABLE

Sl. No. (1)	Existing Court (2)	Jurisdiction as Special Court (3)
1	Court of Additional Sessions Judge-03, South-West District, Dwarka	National Capital Territory of Delhi

2. The aforesaid Court mentioned in column number (2) shall exercise the jurisdiction as Special Court in respect of jurisdiction mentioned in column number (3).

[F. No. 01/12/2009-CL-I (Vol.IV)]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.